

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज०)

वाद-पत्र संख्या :-56 / 2021

दायर दिनांक: 01.07.2021

GCMS NO:- 2021/110

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

हरजीनाथ पुत्र नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी

-वादी-

## बनाम

1. कैलाश नाथ पुत्र नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. मथुरा नाथ पुत्र नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

निर्णय दिनांक 27.10.2021

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.07.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवाँ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वादिनी सुरजा बाई की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गए-

1. (वादी) हरजीनाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
404	0.3533
कुल किता	कुल रकबा 0.3533 है०

2. कैलाशनाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
403	0.3532
कुल किता 1	कुल रकबा 0.3532 है०

3. मथुरानाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
403	0.1727
404	0.1806
कुल किता 2	कुल रकबा 0.3533 है०

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवाँ आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट बालापुरा में आज पेश हुई। तहसीलदार नैनवाँ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम बोरदा पटवार हल्का नाहरगंज तहसील नैनवाँ के खाता संख्या नया 159 पुराना 152 की कृषि भूमि के खसरा सं. 403 रकबा 0.5259 है० व खसरा सं. 404 रकबा 0.5339 है० बीघा कृषि भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

Reader/Deceion/2021

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ (बून्दी) Page 208



(वादी) हरजीनाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
404	0.3533
कुल किता	कुल रकबा 0.3533 है०

2. कैलाशनाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
403	0.3532
कुल किता 1	कुल रकबा 0.3532 है०

3. मथरानाथ पुत्र नानगानाथ जाति जोगी  
सा० देह खातेदार राहि भूमि विकास बैंक बून्दी

खसरा नं०	रकबा
403	0.1727
404	0.1806
कुल किता 2	कुल रकबा 0.3533 है०

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न-भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा संभलाये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)